निग /2821/II/15

909

समक्ष :- माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर पीठ रीवा म. प्र.

RS.20/-

बाला प्रसाद गुप्ता तनय स्व. श्री माताभीख गुप्ता पेशा व्यापार सा० अमहा बासदेव वार्ड क्रमांक 4 नगर पंचायत हनुमना थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा म. प्र.

---------- आवेदक

बनाम.

1:- अमरनाथ तनय कैलाशप्रसाद गुप्ता सा. अमहा वासुदेव वार्ड क्र. 4 नगर पंचायत हनुमना थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा म.प्र. सही पता - ग्राम ब्रमण्डीज (दरामलगंज) थाना हलिया लालगंज जिला मिरजापुर उ. प्र.

2:- म. प्र. राज्य

---------- अनावेदकगण

शारदा प्रसाद मिश्रा पक्ष के
आज दिनांक 17-7-15
पुत किया गया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनु० अधिकारी तहसील हनुमना जिला रीवा म० प्र० राजस्व प्रकरण क्रमांक 1053अ-6 /2013-2014 आदेश दिनांक 25.6.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं. 1959 ई०

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य

1:- यह कि आवेदक एवं स्वर्गीय बनवारी लाल गुप्ता आपस में सगे भाई थे तथा स्व०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 2821–दो/2015 निगरानी जिला – रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-8-17	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 105 अ–6/13–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–6–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि बनवारी लाल व्दारा निष्पादित बसीयतनामा दिनांक 20–8–11 आवेदक के पक्ष में था जिस पर से नामान्तरण आदेश दिनांक 20–6–13 पारित हुआ है उसके विरूद्व 9–7–14 को अपील बेरूम्याद प्रस्तुत हुई है एंव अनुविभागीय अधिकारी ने बेरूम्याद अपील में विलम्ब क्षमा करने की भूल की है क्योंकि दिनांक 20–6–13 से 9–7–14 के दिन प्रतिदिन का हिसाव नहीं दिया गया है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25–6–15 को निरस्त करने की मांग रखी। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25–6–15 का अवलोकन किया गया। उन्होंने विवेचित किया है कि उत्तरवादी व्दारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक बनवारी लाल को प्रतिवादी बनाकर नामान्तरण आवेदन दिया है, जबकि अपीलार्थी अमरनाथ को जर्य रजिस्टर्ड बसीयतनामा भूमियां प्रदान की गई है जिसके कारण वह हितबद्व पक्षकार था जिसे तहसील न्यायालय में सुनवाई का अवसर न मिलने के कारण परिसीमा	

अधिनियम के आवेदन में वर्णित तथ्यों को समाधानकारक होना मानते हुये विलम्ब क्षमा किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 में व्यवस्था दी गई है कि हितबद्व व्यक्ति को सूचना न होने से उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया । अपील के अवधि–वाह्य होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (रमेश विरूद्व बैजु 2004 रा.नि. 107 से अनुसरित)। जब तहसील न्यायालय की कार्यवाही में आवेदक ने अनावेदक को हितबद्व होते हुये भी पक्षकार नहीं बनाया । तहसील न्यायालय में अनावेदक को सुनवाई का अवसर नहीं मिला , अनुविभागीय अधिकारी हनुमना व्दारा आदेश दिनांक 25–6–15 में निकाला गया निष्कर्ष उचित है। आवेदक को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गुण–दोष के आधार पर सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के आदेश में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी में आगे सुनवाई के विशेष आधार न होने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है।

सदस्य